बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 हेतु पंजीयन से संबंधित आवश्यक सूचना

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2017 में शामिल होने वाले नियमित कोटि के सभी छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन हेतु पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 19/2016 एवं विज्ञप्ति संख्या 21/2016 प्रसारित किया गया था। इस क्रम में एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विद्यालय प्रधान, सभी क्षेत्रीय शिक्षोपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वैसे नियमित कोटि के छात्र जो पंजीयन नहीं करा पाये थे तथा स्वतंत्र कोटि के छात्रों के पंजीयन हेतु निम्नवत तिथि निर्धारित की जाती है:–

कार्यक्रम	शुल्क संरचना (प्रति परीक्षार्थी)		
1. ऑन लाइन पंजीयन आवेदन प्राप्ति की तिथि : **25.10.2016**	**नियमित कोटि के विद्यार्थी के लिए**	ऑन लाइन आवेदन पत्र पंजीयन शुल्क	50.00 150.00
		कुल राशि–	200.00
2. ऑन लाइन आवेदरन प्राप्ति की अन्तिम तिथि **:03.11.2016**	**स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए**	ऑन लाइन आवेदन पत्र पंजीयन शुल्क नुमति शुल्क	50.00 150.00 100.00
		कुल राशि–	300.00

नोट: 1. सभी प्रकार के शुल्क इलाहाबाद बैंक के खाता संख्या **A/C**-50233179401 में वेबसाईट द्वारा निर्गत बैंक चालान के माध्यम से जमा किया जाना है एवं प्राप्ति रसीद की समिति प्रति (मूल रूप में) समेकित विवरणी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। जिसे सूचीबद्ध कर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने विशेष दूत के माध्यम से दिनांक 17.11.2016 तक समिति कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

A. विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश (Instructions Regarding Eligibility of the candidates) :

(1) 01 मार्च, 2017 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 (चौदह) वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के छात्र–छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्म तिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इसलिए 01 मार्च 2003 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वर्ष 2016 में पंजीकृत नहीं किये जायेंगे।

(2) ऐसे कई मामले आते रहे हैं जिसमें छात्र–छात्राओं के द्वारा अपनी आयु कम करके फार्म भरा जाता है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है। सही जन्म तिथि अंकित नहीं रहने पर मेडिकल जाँच कराने की बाध्यता होती है। परीक्षाफल लंबित रखा जाता है। ऐसे मामले प्रमाणित होने पर संबंधित विद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे। उनके विरूद्ध कार्रवाई की बाध्यता होगी। इसलिए जन्म तिथि एवं आवास के संबंध में आश्वस्त होने के उपरान्त ही ऑन लाइन पंजीयन आवेदन पत्र में प्रविष्टि दर्ज की जाय।

(3) स्वतंत्र छात्र–छात्राओं के मामले में विद्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विनियमावली, 1964 के अध्याय–04 की धारा– 3 स्वतंत्र छात्र–छात्रा की पात्रता के संबंध में दी गई शर्तों के आलोक में बिहार राज्य का निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिये गये अच्छे आचरण प्रमाण पत्र एवं प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक से प्राप्त आयु संबंधी शपथ पत्र एवं आयु के संबंध में अन्य साक्ष्य या प्रमाण पत्र समेकित विवरणी के साथ संलग्न किया गया है।

(4) शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या– 314 दिनांक 07.06.2003 के अनुसार स्वतंत्र परीक्षार्थी अपने निवास स्थान के मूल जिला में अवस्थित राजकीय अथवा राजकीयकृत विद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। इस हेतु उन्हें सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। निवास के मूल जिला का निर्धारण आवासीय प्रमाण पत्र/पारिवारिक राशन कार्ड, माता–पिता के नाम की मतदाता सूची में प्रविष्टि जैसे प्रमाणों पर आधारित होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे कहीं से भी इसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए है।

(5) निर्धारित तिथि के बाद OMR फार्म स्वीकार नही किया जायेगा और इसकी जवाबदेही विद्यालय प्रधान की होगी ।

B.ऑनलाईन आवेदन (क्रमबद्ध प्रक्रिया) :

1 Login → 2 Form fillup → 3 Verification of Student → 4 Payment → 5 Payment Verification → 6 Student List/Filled form of Student → 7 Logout

(1) **लौगिन के संदर्भ में :–** विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के लिए बोर्ड के वेबसाइट **www.biharboard.ac.in** पर सूचना उपलब्ध रहेगी। **www.bsebbihar.com** पर लौगिन करने के लिये डिफोल्ट युजर आई0डी0– schoolcode@bseb.com (सत्यापित रौल कोड) का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय/महाविद्यालय का कोड 11104 है, तो आपका युजर आई0डी0– **11104@bseb.com** होगा तथा पासवर्ड– विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे।
(2) **रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के संदर्भ में :– (i)** लौगिन के उपरान्त विद्यालय/महाविद्यालय विवरणी का पेज खुलेगा। जिसमें छात्र/छात्रा का विवरण भरकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे। **(ii)** Submit के उपरान्त छात्र/छात्रा का फोटो अपलोड पेज खुलेगा। जिसमें छात्र/छात्रा अपना फोटो तथा हस्ताक्षर (निर्देशानुसार निर्धारित साईज एवं डाइमेन्सन में होना आवश्यक है) अपलोड कर Save बटन पर क्लिक करेंगे।
(3) **छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन :–** उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा गया छात्र/छात्रा का विवरण, अपलोड किये गये फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पूरा फॉर्म दिखेगा। जिसमें डिकलरेशन स्टेटमेंट के साथ लगे चेक बॉक्स को चेक करके Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो एडिट बटन पर क्लिक कर के फॉर्म को संशोधित कर Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे। **(4) शुल्क का भुगतान निम्न माध्यम से किया जा सकेगा :–**
(i) नगद भुगतान (चालान/ई0–चालान के माध्यम से) **(क)** सामान्य चालान (बैंक द्वारा प्राप्त जर्नल नंबर वेबसाईट में अंकित करना अनिवार्य है।) **(ख)** ई0–चालान (बैंक द्वारा प्राप्त जर्नल नंबर वेबसाईट में स्वतः अंकित हो जायेगा।) **(ii)** ऑन लाइन भुगतान की स्थिति:– ऑन लाईन भुगतान की स्थिति:– (क) डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। **(5) भुगतान सत्यापन के संदर्भ में :– (i)** नगद भुगतान के स्थिति में चालान का जर्नल नम्बर सिस्टम में अंकित करना अनिवार्य है तथा जर्नल नम्बर प्रविष्ट करने के उपरान्त चालान की बोर्ड प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें। विद्यालय प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। **(ii)** ऑन लाईन भुगतान की स्थिति में पेमेंट कंफर्मेशन की प्रति प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आवश्यकता पड़ने पर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। **(6) छात्र/छात्राओं की समेकित सूची के संदर्भ में :–** विद्यालय/महाविद्यालय पंजीकृत सभी छात्र/छात्राओं की समेकित सूची एवं भुगतान की प्रविष्टि देख तथा प्रिंट कर सकते हैं। **(7) लौग आउट :–** विद्यालय/महाविद्यालय उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसरण करने के बाद लौग आउट कर सकते है। **(8) ऑन लाइन आवेदन भरने से पूर्व सूचनाओं/कागजातों को तैयार रखने के संदर्भ में अनुदेश:–** ऑन लाइन आवेदन पत्र में वैध ईमेल आई0डी0/आधारनंबर/मोबाइल न0 की प्रविष्टि करें। इन सूचनाओं की प्रविष्टि की बाध्यता नहीं है। **(9)** फोटो एवं हस्ताक्षर के लिए दिशा–निर्देश:– (i) फोटो से स्कैन किया फोटो (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm width x 4.5 cm height) में हो तथा आकार 20-50 KB से अधिक न हो। (ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm width x 1 cm height) में हो तथा आकार 5-20 KB से अधिक न हो। **(10) अन्य आवश्यक निर्देश:–** (i) बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात विद्यालय/महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि जर्नल नंबर की प्रविष्टि सिस्टम में कर ली गई है। (ii) शुल्क का भुगतान एक बार में एक छात्र अथवा एक से अधिक छात्र भी कर सकते हैं। (iii) शुल्क का भुगतान ऑन लाइन पेमेंट मोड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या बैंक चालान पेमेंट मोड उपलब्ध रहेगा। (iv) ऑन लाइन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर विद्यालय/महाविद्यालय सहायता हेतु हेल्प लाइन नं0– BSEB, रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क नं0–0612–2222513, 2232074, 2232227, 2232239, 2232257 पर संपर्क कर सकते हैं। (v) मार्गदर्शिका समिति के वेबसाइट **www.biharboard.ac.in** पर उपलब्ध है।

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना